स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 47

स्वास्थ्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित, 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट, 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1506.30	962.79	2469.09	1411.44	1147.65	2559.09	1769.30	893.32	2662.62
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	*25.00*	*25.00*
जोड़		**1506.30**	**962.79**	**2469.09**	**1411.44**	**1147.65**	**2559.09**	**1769.30**	**918.32**	**2687.62**
1. सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	2251	3.00	11.65	14.65	3.00	11.65	14.65	3.00	12.25	15.25
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	1.30	1.30	...	0.60	0.60	...	1.00	1.00
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य										
3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	2210	2.00	15.00	17.00	2.00	15.00	17.00	1.50	15.50	17.00
4. राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय	2210	7.75	2.30	10.05	7.75	2.30	10.05	8.00	2.35	10.35
5. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	2210	14.00	276.00	290.00	15.00	392.14	407.14	16.50	187.00	203.50
अस्पताल और औषधालय-एलोपैथी										
6. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	2210	45.00	65.90	110.90	45.00	67.02	112.02	60.00	67.80	127.80
7. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	2210	19.00	45.75	64.75	19.00	45.96	64.96	22.00	47.10	69.10
8. कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	2210	5.70	9.00	14.70	5.70	9.38	15.08	8.00	9.25	17.25
9. केन्द्रीय मनोरोगविज्ञान संस्थान, रांची	2210	4.00	8.88	12.88	4.00	10.01	14.01	3.00	9.10	12.10
10. अखिल भारतीय काय औषध और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई	2210	2.70	3.08	5.78	2.56	3.65	6.21	3.00	3.15	6.15
11. अन्य व्यय	2210	5.00	0.85	5.85	5.00	0.85	5.85	7.50	0.85	8.35
जोड़ - अस्पताल और औषधालय-एलोपैथी		**81.40**	**133.46**	**214.86**	**81.26**	**136.87**	**218.13**	**103.50**	**137.25**	**240.75**
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान										
12. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	2210	105.00	167.18	272.18	105.00	207.18	312.18	119.00	170.00	289.00
13. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	2210	8.50	40.55	49.05	8.50	42.11	50.61	20.00	41.75	61.75
14. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु-विज्ञान संस्थान, बंगलौर	2210	24.00	14.50	38.50	24.00	19.50	43.50	30.00	14.67	44.67
15. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	2210	25.00	93.24	118.24	25.00	102.74	127.74	28.00	96.00	124.00
16. जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	2210	13.00	38.60	51.60	13.00	38.60	51.60	20.00	40.00	60.00
17. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	2210	102.00	64.86	166.86	102.00	64.86	166.86	112.00	66.00	178.00
18. कैंसर अनुसंधान	2210	37.00	3.18	40.18	25.00	3.18	28.18	43.00	3.50	46.50
	3601	12.00	...	12.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
	जोड़	*49.00*	*3.18*	*52.18*	*30.00*	*3.18*	*33.18*	*53.00*	*3.50*	*56.50*
19. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा	2210	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
20. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट दिल्ली विश्वविद्यालय	2210	4.80	6.00	10.80	4.80	6.00	10.80	4.00	6.00	10.00
21. प्राईवेट मेडिकल कालेजों को अनुदान	2210	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	1.00	1.00
22. अन्य कार्यक्रम	2210	11.15	6.30	17.45	11.15	6.30	17.45	71.40	6.50	77.90
जोड़ - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान		**352.45**	**440.01**	**792.46**	**333.45**	**496.07**	**829.52**	**467.40**	**445.42**	**912.82**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित, 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट, 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जन स्वास्थ्य										
23. राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम	2210	47.38	5.25	52.63	41.93	5.25	47.18	50.00	5.25	55.25
	3601	124.51	...	124.51	128.96	0.20	129.16	136.26	0.20	136.46
	3602	1.11	...	1.11	1.01	...	1.01	0.74	...	0.74
	जोड़	*173.00*	*5.25*	*178.25*	*171.90*	*5.45*	*177.35*	*187.00*	*5.45*	*192.45*
24. काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम	3601	37.00	...	37.00	33.21	...	33.21	50.00	...	50.00
25. राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	2210	...	0.20	0.20	...	...	...	...	...	...
26. क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	75.30	...	75.30	89.34	...	89.34	89.00	...	89.00
	3601	32.00	...	32.00	17.97	...	17.97	25.30	...	25.30
	3602	0.70	...	0.70	0.69	...	0.69	0.70	...	0.70
	जोड़	*108.00*	*...*	*108.00*	*108.00*	*...*	*108.00*	*115.00*	*...*	*115.00*
27. कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	2210	49.64	...	49.64	36.14	...	36.14	37.88	...	37.88
	3601	21.84	...	21.84	16.31	...	16.31	15.10	...	15.10
	3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
	जोड़	*71.50*	*...*	*71.50*	*52.47*	*...*	*52.47*	*53.00*	*...*	*53.00*
28. रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	2210	7.40	...	7.40	28.24	...	28.24	29.50	...	29.50
	3601	75.35	...	75.35	54.26	...	54.26	55.00	...	55.00
	3602	0.25	...	0.25	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	*83.00*	*...*	*83.00*	*83.00*	*...*	*83.00*	*85.00*	*...*	*85.00*
29. राष्ट्रीय आयोडीन कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम	2210	4.90	...	4.90	4.90	...	4.90	5.90	...	5.90
	3601	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
	3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	जोड़	*6.50*	*...*	*6.50*	*6.50*	*...*	*6.50*	*7.50*	*...*	*7.50*
30. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम – राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	2210	205.00	...	205.00	205.00	...	205.00	232.00	...	232.00
31. मादक द्रव्यों की लत छुड़ाने संबंधी कार्यक्रम	2210	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
32. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान,	2210	10.40	9.45	19.85	10.50	9.45	19.95	10.95	9.70	20.65
नई दिल्ली	3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
	जोड़	*10.45*	*9.45*	*19.90*	*10.55*	*9.45*	*20.00*	*11.00*	*9.70*	*20.70*
33. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2210	5.00	10.48	15.48	5.00	10.48	15.48	6.00	10.80	16.80
34. पत्तन स्वास्थ्य स्थापना एवं विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन	2210	1.00	7.75	8.75	0.10	8.59	8.69	1.00	8.00	9.00
35. राष्ट्रीय जैविकीय मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, नई दिल्ली	2210	25.10	...	25.10	25.10	...	25.10	40.00	...	40.00
36. बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला गिंडी, चेन्नई	2210	3.00	2.95	5.95	3.00	3.33	6.33	3.00	3.05	6.05
37. अखिल भारतीय स्वच्छता विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता	2210	1.40	5.90	7.30	1.40	5.90	7.30	1.50	6.10	7.60
38. लाला राम स्वरुप क्षयरोग और सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली	2210	10.00	4.20	14.20	10.00	4.20	14.20	11.00	4.20	15.20
39. मानवीय व्यवहार तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान, शाहदरा, दिल्ली	2210	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
40. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	2210	28.00	...	28.00	3.00	...	3.00	30.00	...	30.00
41. अन्य जन स्वास्थ्य संस्थान	2210	9.05	7.47	16.52	9.05	8.37	17.42	10.80	7.70	18.50
42. अन्य योजनाएं	2210	...	1.56	1.56	...	1.76	1.76	...	1.60	1.60
जोड़ - जन स्वास्थ्य		**784.00**	**55.21**	**839.21**	**734.28**	**57.53**	**791.81**	**850.80**	**56.60**	**907.40**

सं.47/ स्वास्थ्य विभाग

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित, 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट, 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
अन्य कार्यक्रम										
43. राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि की स्थापना	2210	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30
44. गरीबों को अस्पताल में भर्ती कराने पर होने वाले व्यय के लिए सहायता	3601	...	2.54	2.54	...	3.00	3.00	...	2.70	2.70
	3602	...	0.30	0.30	...	0.50	0.50	...	0.30	0.30
	जोड़	*...*	*2.84*	*2.84*	*...*	*3.50*	*3.50*	*...*	*3.00*	*3.00*
45. खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम	2210	8.00	2.00	10.00	9.00	2.22	11.22	25.00	2.10	27.10
	3601	20.00	...	20.00	...	...	...	11.00	...	11.00
	जोड़	*28.00*	*2.00*	*30.00*	*9.00*	*2.22*	*11.22*	*36.00*	*2.10*	*38.10*
46. प्रशिक्षण संस्थान	2210	4.35	8.45	12.80	4.35	8.45	12.80	4.00	8.80	12.80
47. परिचर्या सेवाओं का विकास	2210	18.00	...	18.00	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00
48. औषधि मानक नियंत्रण कार्यक्रम	2210	11.50	5.40	16.90	11.50	5.40	16.90	11.00	5.60	16.60
	3601	9.50	...	9.50	9.50	...	9.50	10.50	...	10.50
	जोड़	*21.00*	*5.40*	*26.40*	*21.00*	*5.40*	*26.40*	*21.50*	*5.60*	*27.10*
49. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2210	...	6.20	6.20	...	6.20	6.20	...	6.50	6.50
50. अन्य योजनाएं	2210	17.35	1.67	19.02	17.35	8.42	25.77	13.10	8.65	21.75
	3601	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	44.00	...	44.00
	जोड़	*35.35*	*1.67*	*37.02*	*35.35*	*8.42*	*43.77*	*57.10*	*8.65*	*65.75*
51. चिकित्सा भण्डार संगठन	4210	...	...	...	...	...	...	...	25.00	25.00
जोड़ - अन्य कार्यक्रम		**106.70**	**27.86**	**134.56**	**79.70**	**35.49**	**115.19**	**138.60**	**60.95**	**199.55**
52. सहायता सामग्री और उपस्कर - सकल	3606	...	37.84	37.84	...	37.84	37.84	...	29.80	29.80
घटाइये - कार्यात्मक मुख्य शीर्षों को अंतरण	*3606*	*...*	*-37.84*	*-37.84*	*...*	*-37.84*	*-37.84*	*...*	*-29.80*	*-29.80*
निवल-सहायता सामग्री और उपस्कर		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
53. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	155.00	...	155.00	155.00	...	155.00	180.00	...	180.00
कुल जोड़#		***1506.30***	***962.79***	***2469.09***	***1411.44***	***1147.65***	***2559.09***	***1769.30***	***918.32***	***2687.62***

#इसमें उत्तर-पूर्व के लिए प्रावधान शामिल है (ब्यौरे टिप्पणियों में देखें)

	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
2. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	22210	1392.00	...	1392.00	1290.08	...	1290.08	1617.00	...	1617.00
3. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	155.00	...	155.00	155.00	...	155.00	180.00	...	180.00
	जोड़	*1550.00*	*...*	*1550.00*	*1448.08*	*...*	*1448.08*	*1800.00*	*...*	*1800.00*

**इसमें निम्नलिखित मांगों में शामिल निर्माण परिव्यय भी शामिल है।*

मांग संख्या 100	22210	8.60	...	8.60	3.34	...	3.34	6.50	...	6.50
मांग संख्या 101	22210	35.10	...	35.10	33.30	...	33.30	24.20	...	24.20
जोड़		**43.70**	**...**	**43.70**	**36.64**	**...**	**36.64**	**30.70**	**...**	**30.70**

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं**: इसमें स्वास्थ्य विभाग के सचिवालय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **विवेकाधीन अनुदान**: ये अनुदान जन हित के पात्र गरीब मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

3. **स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय**: इसके अन्तर्गत चिकित्सीय तथा लोक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता की व्यवस्था की जाती है और यह स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह देश में और देश से बाहर जैव-चिकित्सा संबंधी जानकारी इकट्ठी करने, संसाधित करने तथा उसकी आपूर्ति करने के लिये एक केन्द्रीय कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

4. **राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय**: यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तत्वावधान के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव-चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विज्ञान सूचना संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह अपने सूचना संबंधी उत्पादों तथा सेवाओं के माध्यम से समग्र देश के सभी चिकित्सा व्यवसायिकों तक पहुंचता है।

5. **केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना**: इस योजना के अधीन संसद सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों, भूतपूर्व राज्यपालों, भूतपूर्व उप-राष्ट्रपतियों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके परिवार के सदस्यों आदि जैसे अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत जो सुविधाएं दी जा रही है उनमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी/सिद्ध औषधालयों/एककों के नेटवर्क के माध्यम से बहिरंग रोगियों की देखभाल की सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। वर्तमान में यह स्कीम सारे देश में 21 शहरों में 4150 लाख लाभार्थियों (जिनमें केन्द्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारी तथा पेंशनर दोनों शामिल है) को कवर करती है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं को तीन स्थानों अर्थात् देहरादून, भुवनेश्वर और रांची में शुरु किए जाने का प्रस्ताव है।

6. **सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली**: 1531 शैय्याओं वाला केंद्रीय सरकार का अस्पताल है। इसकी स्थापना दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान की गई थी। अब यह एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक हो चुका है जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ-साथ दूरस्थ राज्यों के 2 मिलियन से अधिक लोगों को चिकित्सा उपचार उपलब्ध करवाता है। नेत्र-विज्ञान विभाग में एक नेत्र बैंक की स्थापना की गयी है जिसमें अस्पताल में तथा दिल्ली क्षेत्र से नेत्र प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध है। यह अपने परिसर के अन्तर्गत भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद को मुफ्त आयुर्वेदिक-बहिरंग रोगी विभाग चलाने के लिए सहायता भी प्रदान करता है। इसके परिसर के भीतर होम्योपैथिक बाहय रोगी विभाग भी कार्यरत है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज कार्य कर रहा है।

7. **डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली**: यह भी केन्द्रीय सरकार का एक चिकित्सा अस्पताल है और इसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा संसद सदस्यों आदि के लिए संचालित एक नर्सिंग होम (सुश्रूषा गृह) भी शामिल है। इस अस्पताल में 937 रोगी शैयाएं हैं। इसके 29 विभाग हैं। यह अस्पताल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अवर स्नातक विद्यार्थियों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र भी है। 75 छात्रों की संख्या वाला एक नर्सिंग स्कूल भी इस अस्पताल द्वारा चलाया जा रहा है। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित किया गया है।

8. **कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली**: इस अस्पताल में 350 रोगी शैयाएं हैं और यह केवल बच्चों के रोगों के इलाज के लिए अस्पताल है। इसका प्रबंध लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज द्वारा किया जाता है। अस्पताल में बाल रोग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, हड्डियों के उपचार और बच्चों के लिए गहन सुश्रूषा सुविधाओं की भी व्यवस्था है। विद्यमान सुविधाओं को जापानी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण से विदेशी सहायता लेकर 150 बिस्तरों की अतिरिक्त सुविधा के साथ बाल रोग चिकित्सा में विशिष्टता प्रदान करने के लिए बढ़ाया जा रहा है।

9. **केन्द्रीय मनोरोग संस्थान, रांची**: देश में मनोरोग उपचार के लिए केन्द्रीय सरकार का यह एक प्रमुख संस्थान है। 643 बिस्तरों वाला यह संस्थान दो पड़ोसी देशों, अर्थात् नेपाल और भूटान के रोगियों के उपचार की व्यवस्था भी करता है। रोग निदान तथा उपचार की सुविधाओं के अतिरिक्त, इस संस्थान में मनोरोग संबंधी स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रमों का आयोजन भी किया जाता है।

10. **अखिल भारतीय काय औषध एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई**: यह चिकित्सा पुनर्वास सेवाओं की सुविधाओं से सम्पन्न सम्पूर्ण दक्षिण एशिया में एक अगुआ संस्थान है। इस संस्थान की क्षमता 45 शैयाओं की है और इसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक का प्रशिक्षण दिया जाता है और पुनर्वास औषधियों पर अनुसंधान किया जाता है।

11. **अन्य व्यय**: इसमें अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन तथा भुज अस्पताल, गुजरात को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए प्रावधान शामिल है।

12. **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली**: इस संस्थान को 1956 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा औषध विज्ञान के विभिन्न विषयों पर प्रयोग तथा अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। इस संस्थान में 1596 रोगी शैयाओं की व्यवस्था है। डा. राजेन्द्र प्रसाद आप्थेलमिक विज्ञान केन्द्र भी इससे सम्बद्ध है। केन्द्रीय सरकार, संस्थान को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संस्थान में अनुसंधान की कुछ योजनाओं की वित्त-व्यवस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद द्वारा की जाती है।

13. **लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली**: यह कालेज सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका संचालन स्त्रियों को अवर स्नातक और स्नातकोत्तर तथा पुरुषों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है और इसमें स्त्रियों और बच्चों की डाक्टरी सुश्रूषा भी की जाती है। विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कालेज के साथ कतिपय अस्पताल भी सम्बद्ध हैं, जैसे कि श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल आदि। यह नर्सिंग स्कूल का भी संचालन करता है, जिसमें नर्सिंग तथा धात्री-विद्या पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

14. **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर**: यह एक स्वायत्त संस्थान है और इसे भारत सरकार से अनुरक्षण अनुदान सहायता प्राप्त होती है। इस संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायुविज्ञान के क्षेत्र में सेवाओं, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यों की व्यवस्था की जाती है। यह संस्थान अब एक मानित विश्वविद्यालय के रूप में माना जाने लगा है और संस्थान में मेडिकल तथा पैरामेडिकल विषयों में डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था है।

15. **स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़**: इस संस्थान की स्थापना संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई है और इसके कृत्य भी वही हैं जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के हैं लेकिन इसके कार्य स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। इस संस्थान की संपूर्ण वित्त-व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है और यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान तथा विशिष्ट अस्पताली सेवाओं की व्यवस्था करने वाला केन्द्र भी है। इस संस्थान से सम्बद्ध नेहरू अस्पताल में 1268 रोगी-शैयाओं की व्यवस्था है।

16. **जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी**: भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित और संचलित इस संस्थान में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसके अस्पताल में, जिसमें 916 रोगी शैयाएं हैं, पांडिचेरी और पड़ोसी राज्यों के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह संस्थान, मेडिकल अध्यापकों के प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन भी करता है, जिसमें अध्यापन पाठ्य चर्चा में होने वाले अद्यतन परिवर्धनों का प्रदर्शन किया जाता है।

17. **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद**: देश में जैव-चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के संर्वधन, समन्वयन और सूत्रीकरण के लिये एक शीर्ष निकाय है। केन्द्रीय सरकार परिषद को, संक्रामक रोगों, गर्भनिरोधकों, प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य, पोषाहार, संक्रामक रोगों से भिन्न रोगों और आधारभूत अनुसंधान के कार्य के लिए शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान देती है। यह परिषद, जनजातीय स्वास्थ्य तथा परम्परागत औषधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने तथा उक्त जानकारी के प्रकाशन और प्रसारण के कार्य में भी लगी हुई है।

18. **कैंसर अनुसंधान**: इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.आर.सी.एच. (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) नई दिल्ली और सी.एन.सी.आई, कोलकाता के अलावा अहमदाबाद, बंगलौर, कटक, ग्वालियर, इलाहाबाद, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, पटना और नागपुर में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाती है। कोबाल्ट चिकित्सा एककों की स्थापना और कैंसर रोग का शीघ्र पता लगाने संबंधी कार्यो क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकारी चिकित्सा कालेजों में अर्बुद-विधा स्कन्धों के विकास तथा जिला परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

19. **कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, सेवाग्राम**: यह देश में ग्रामीण परिवेश में स्थापित होने वाला पहला एवं अग्रणी मेडिकल कालेज है और यह विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में अवगत कराता है। सोसाइटी का एक 648 शैयाओं का अध्यापन हस्पताल है, इसमें उत्तम दर्जे की नैदानिक एवं उपचार सुविधाएं हैं और स्नातक स्तर से पूर्व की एवं स्नाकोत्तर स्तर के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

20. **वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली**: यह अनुप्रयुक्त एवं प्राथमिक अनुसंधान, स्नातकोत्तर स्तर के अध्यापन, छाती से सम्बन्धित रोगों के परामर्शी चिकित्सालयों एवं अनुसंधानशाला नैदानिक सेवाओं के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय संस्थान है। यह भारत के विभिन्न भागों के संकाय सदस्यों एवं चिकित्सकों के लिए श्वसन सम्बन्धी रोगों के अल्प अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है।

22. **अन्य कार्यक्रम**: इसमें ए.आई.आईएस एण्ड एच, मैसूर, आरएके नर्सिंग महाविद्यालय, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड चिकित्सा अनुदान आयोग आदि शामिल है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समान छह अस्पताल एवं शिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने हैं तथा राज्य सरकारों के अस्पतालों का उन्नयन किया जाना है।

रोगों का निवारण और नियंत्रणः केन्द्रीय सरकार विभिन्न केन्द्र-प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों का वित्तपोषण 100 प्रतिशत आधार पर अथवा 50 प्रतिशत आधार पर करती है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः–

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण तथा शहरी)	50 प्रतिशत
राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	50 प्रतिशत
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	100 प्रतिशत

राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम	100 प्रतिशत
राष्ट्रीय दृष्टिदोष तथा अन्धता निवारण योजना, जिसमें रोहा रोग निवारण कार्य भी शामिल है।	100 प्रतिशत
राष्ट्रीय आयोडीन अपूर्णता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम	100 प्रतिशत
राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम	100 प्रतिशत

देश में होने वाली कुल रोग और मृत्यु-संख्या का दो-तिहाई से अधिक संचारी रोगों के कारण होता है। केन्द्रीय सहायता इन रोगों की रोकथाम, नियंत्रण तथा उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के लिये दी जाती है।

23–25. **राष्ट्रीय रोग वाहक उन्मूलन कार्यक्रमः** इसमें मलेरिया, काला आज़ार, जापानी एंसिफिलाइटिस, फिलेरिया और डेंगू शामिल है। 1950 के दशक के आरंभ में 75 मिलियन व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित थे और मलेरिया से मरने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 0.8 मिलियन थी। जो घट कर 1 लाख से कम रह गई और वर्ष 1965 में मलेरिया से कोई मौत नहीं हुई। मलेरिया महामारी तथा देश के जनजाति/पिछड़े क्षेत्रों में नियंत्रण उपाय करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक मलेरिया नियंत्रण परियोजना दिनांक 30.9.1997 से कार्यान्वित की जा रही है जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ झारखण्ड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के 100 जिलों और 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कवर किया गया है। 269 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से 123 करोड़ रुपए तक की निधियां विदेशी सहायता प्राप्त संघटकों के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।

26. **क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रमः** क्षयरोग अभी भी जन स्वास्थ्य की एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) 1962 से प्रचालन में है और वह सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से कार्य करता है जिनमें जिला क्षयरोग केन्द्र नोडल एजेन्सियां हैं। अभी तक देश में 446 जिला क्षयरोग केन्द्र कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक संख्या में क्षयरोग के मामलों की खोज करना तथा उनका इलाज करना है। इस नीति से वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हुए। 1992 में इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी और इसके परिणामस्वरुप एक संशोधित नीति तैयार की गई थी। यह संशोधित नीति 85 प्रतिशत से अधिक संक्रमित रोगियों के अच्छा होने की बढ़ती हुई दर पर जोर देती है।

27. **कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रमः** इस कार्यक्रम ने अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। देश में कुष्ठ रोगियो की संख्या 1981 में 4.0 मिलियन से घटकर मार्च, 1999 के अन्त तक 0.48 मिलियन हो गयी है। एमडीटी की सेवाएं देश के सभी जिलों के लिए मंजूर की गई है। यह कार्यक्रम 490 जिला कुष्ठरोग समितियों के माध्यम से चलता है। 55.00 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से 49.00 करोड़ रुपए तक की निधियां विदेशी सहायता प्राप्त संघटक के अन्तर्गत प्रदान की जा रही हैं।

28. **रोहा और अन्धता नियंत्रण कार्यक्रमः** अन्धता नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम को 1976 में सारे देश में लागू किया गया था।

29. **राष्ट्रीय आयोडीन अपूर्णता विकार नियंत्रण कार्यक्रमः** एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 71 मिलियन व्यक्ति आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। इस कार्यक्रम का बल खाने के समस्त नमक को चरणबद्ध तरीके से आयोडीनयुक्त करने पर होगा।

30. **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमः** एड्स हाल ही के वर्षों में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरा है। एच.आई.वी. संक्रमण और एड्स के साथ जुड़ी हुई बहु-पक्षीय समस्याओं का सामना करने की तुरन्त आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार ने एड्स के निवारण और नियन्त्रण के लिए आई.डी.ए/विश्व बैंक से उदार शर्तों वाले ऋण के रूप में पर्याप्त सहायता के साथ दूसरी परियोजना शुरू की है। सरकार ने इस द्वितीय परियोजना को शुरु किया है, जिसका उद्देश्य लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के स्थान पर विशेषकर उन वर्ग के लोगों को जिनसे एचआईवी फैलने की अधिक आशंका है, उनमें हस्तक्षेप करके उनके व्यवहार को बदलने के साथ-साथ तथा दीर्घावधि आधार पर एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरूकता लाने में भारत की क्षमता मजबूत बनाना है। इस परियोजना में एचआईवी नियंत्रण के लिए प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना, इसके प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा एचआईवी/एड्स के मरीजों को सामुदायिक सहयोग देना शामिल है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 35 एड्स नियंत्रण समितियों, जिसमें नगर निगम स्तर पर 3 समितियां शामिल है, के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। देश में रक्त बैंक की सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक स्वायत्तशासी संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ ब्लड ट्रांसफियूशन की स्थापना की गई है। यू.एस.ए.आई.डी. की सहायता से चेन्नई की स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से तमिलनाडु में एड्स रोकथाम और नियंत्रण परियोजना पर भी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना में अनेक गैर-सरकारी संगठनों का पता लगाकर और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके जनसंख्या के उन लोगों को (जिन्हें एड्स का अत्यधिक जोखिम है) जो संक्रमण के निकट है, विशेष रूप से यौन कर्मियों और उनके ग्राहकों के साथ-साथ एसटीडी रोगियों में एचआईवी की रोकथाम की व्यवस्था को पुनः प्रवृत्त करना है। 259 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से 237 करोड़ रुपए तक की निधियां विदेशी सहायता प्राप्त घटक के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।

31. **ड्रग्स के व्यसन को छुड़ाने का कार्यक्रमः** इस में अभिज्ञात चिकित्सा संस्थाओं/जिला स्तरीय अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सीय सेवाएं मुहैया करायी जाती हैं, संवेदनशील क्षेत्रों में मरक-विज्ञान पर अध्ययन आयोजित किए जाते हैं, ड्रग्स के प्रयोग की अनुवीक्षण प्रणाली का विकास, स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री की तैयारी, जन शक्ति विकास और नशीले पदार्थों के सेवन से बचने की तकनीकों में नवीनीकृत दृष्टिकोण अपनाए जाने के कार्यक्रम भी हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, पी.जी.आई. चंडीगढ़, जिपमेर, पांडिचेरी; डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली और एल.एच.एम.सी. और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली और निमहंस, बंगलौर जैसी छह केन्द्रीय संस्थाओं/अस्पतालों के अलावा सारे देश में इस समय 104 केन्द्र है।

32. **राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्लीः** यह संस्थान संचारी रोग विज्ञान तथा संचारी रोग नियंत्रण से संबंधित विभिन्न विषयों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य करता है और केन्द्रीय सरकार/राज्यों की सरकारों को तथा अन्य अभिकरणों को संचारी रोगों की जांच तथा उनके नियंत्रण के लिए सेवा प्रदान करने/परामर्श देने की व्यवस्था करता है। इसके कार्य, अलवर, बंगलौर, कालीकट, कुन्नूर, पटना, राजामुन्द्री तथा वाराणसी स्थित क्षेत्रीय स्टेशनों और विशिष्ट डिवीजनों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं।

33. **केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौलीः** चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में अनुसंधान के लिये और इम्यूनोबॉयोलॉजिकल्स के उत्पादन तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए इस संस्थान की स्थापना 1905 में की गई थी। संक्रामक रोगों की औषधियों जैसे डिपथेरिया, पिटूसिस, टेटनस, हैजा के टीके, एण्टी-स्नेक वेनम, एण्टी रेबिज सीरम आदि का सबसे अधिक और विस्तृत उत्पादन इसी संस्थान द्वारा किया जाता है। इस संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बी.एस.सी.,एम.एस.सी. और एम.फिल. (माइक्रोबायलोजी) की नियमित कक्षाएं भी चलाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, इस संस्थान के एम.डी. पैथोलोजी और बैक्टीरियोलॉजी, पी.एच.डी. बायोकेमिस्ट्री तथा माइक्रोबायलोजी के पाठ्यक्रमों को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

34. **पत्तन स्वास्थ्य स्थापना और हवाईअड्डा स्वास्थ्य संगठनः** पत्तन और हवाईअड्डा स्वास्थ्य संगठन देश में 8 बड़े पत्तनों और 5 अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों का प्रशासन करता है और स्वास्थ्य संबंधी जांच पड़ताल और संगरोध प्रशासन के लिए प्रबन्ध करता है। इस संगठन का उद्देश्य संचारी रोगों का अन्तर्राष्ट्रीय फैलाव रोकना, ऐसे अधिसूचित देशों में जहां स्थानीय बीमारियां होती है वहां से आने अथवा उनके माध्यम से स्थानातरण होने वाले यात्रियों के जरिए देश में पीतज्वर के प्रवेश को रोकना है। भारत में सभी 8 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों द्वारा डी-रेंटिंग- मुक्त प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे है। अब ऐसा मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और कोचीन पत्तनों पर भी किया जा रहा है।

35. **राष्ट्रीय जीव-विज्ञान मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रणः** यह संस्थान भारत में जीव-विज्ञान की गुणवत्ता नियंत्रण के उच्च स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता को पूरा करने लिए स्थापित किया गया है। इसे स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में बनाया गया है। राष्ट्रीय जीव-विज्ञान संस्थान का उद्देश्य हैः-जीव-विज्ञान और प्रतिरक्षण जीव-विज्ञान उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण पद्धतियों हेतु मानकों को विकसित तथा तैयार करना, विश्वव्यापी वैज्ञानिक अनुसंधानों की बराबरी करने हेतु अन्य राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्पर्क बढ़ाना और जीव-विज्ञान तथा प्रतिरक्षण जीव-विज्ञानों

की गुणवत्ता-नियंत्रण में प्रौद्योगिकीय विकास करना ताकि उनको अपनाने की उपयुक्तता पर परामर्श दिया जा सके, विनिर्माण एककों सहित संबद्ध संस्थाओं के कार्मिकों हेतु गुणवत्ता-नियंत्रण में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना और गुणवत्ता नियंत्रण तथा जीव-विज्ञान उत्पादों के निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अर्हता प्राप्त जन-शक्ति की उपलब्धता का समय-समय पर मूल्यांकन करना ताकि सरकार को देश में उचित उपायों तथा विद्यमान परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन की गुंजाइश के संबंध में सलाह दी जा सके।

36. **बी.सी.जी. टीका, गुइंडी, चेन्नई**: यह स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय का अधीनस्थ कार्यालय है, जो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बी.सी.जी. का टीका तथा ट्यूबरकूलिन, पी.पी.डी. को बनाने तथा उनकी आपूर्ति करने के लिए स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा निर्धारित आबंटन के अनुसार एफ.डी. बी.सी.जी. टीके की आपूर्ति सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है।

37. **अखिल भारतीय स्वच्छता विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता**: यह संस्थान देश में लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अग्रगामी संस्थान है। इसका उद्देश्य स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सुविधाएं देकर लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनशक्ति का विकास करना और देश में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बीमारियों के बारे में अनुसंधान करना, और स्वास्थ्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग किये जाने के लिए पद्धतियों के विकास और स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए निष्कर्षों का अनुपालन करने के लिए प्रचालनात्मक अनुसंधान करना है।

38. **लाला राम स्वरुप टी.बी. और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली**: यह देश में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थानों में से एक प्रमुख संस्थान है, जो कि देश की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या टी.बी. के कारणों का पता लगाने में लगा हुआ हैं। इस संस्थान के पास उपचार करने के लिए आवासीय सुविधा देने हेतु एक क्लीनिक है और 520 बिस्तर हैं। यह पिछले 44 वर्षों से लोगों की उत्कृष्ट रूप से सेवा कर रहा है।

40. **मानसिक-स्वास्थ्य कार्यक्रम**: यह कार्यक्रम इस समस्या पर समुदाय आधारित दृष्टिकोण से विचार करता है जिसमें (क) राज्य के अन्तर्गत अभिज्ञात नोडल संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य दल को प्रशिक्षण देना (ख) मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जागरुकता पैदा करना, (ग) मानसिक बीमारी का जल्दी से पता लगाने तथा उसके उपचार हेतु सेवाएं प्रदान करना और समाज के लिए बाह्य रोगी विभाग तथा आन्तरिक उपचार सुविधा देना और रोग मुक्त हुए मामलों में अनुवर्ती कारवाई करना (घ) भविष्य की योजनाओं, सेवा में सुधार तथा अनुसंधान हेतु राज्य और केन्द्र में समुदाय स्तर पर बहुमूल्य आंकड़े तथा अनुभव प्रदान करना शामिल है।

41. **अन्य लोक स्वास्थ्य संस्थान**: इसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, भारतीय पास्तुरी संस्थान, कुन्नूर और सीरमकर्त्ता तथा रसायन परीक्षक, कोलकाता के लिए प्रावधान शामिल है।

42. **अन्य योजनाएं**: इनके अन्तर्गत विविध योजनाओं के लिए व्यवस्था सम्मिलित हैं।

43. **राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि**: की स्थापना गरीबों को अस्पतालों में भर्ती करने पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए की जा रही है।

44. **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता का प्रावधान** : गरीबों के लिए जरुरी दीर्घाकालिक और खर्चीला इलाज उपलब्ध कराने पर होने वाले व्यय के लिए है।

45. **खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम**: इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं, (i) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के परामर्श से राष्ट्रीय मानकों का प्रतिष्ठापन (ii) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और तत्संबंधी नियमों का प्रशासन तथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए राज्यों से समन्वय और सम्पर्क, (iii) प्रशासनिक समर्थन की व्यवस्था, जैसे कि प्रशिक्षण, उपस्कर और प्रयोगशाला सुविधाओं आदि की व्यवस्था, और (iv) उपभोक्ता शिक्षण प्रदान करना।

46. **प्रशिक्षण संस्थान**: इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय क्षयरोग प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, केंद्रीय कुष्ठ रोग अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, चिंगलेपट्टु और क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान अस्का, राजपुर और गौरीपुर के लिए प्रावधान शामिल है।

47. **परिचर्या संबंधी सेवाओं का विकास**: परिचर्या में प्रशिक्षण देने, नए परिचर्या स्कूलों को खोलने, परिचर्या संबंधी विद्यमान स्कूलों/कालेजों को सुदृढ़ बनाने तथा दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कार्यरत परिचर्या कार्मिकों के लिए रिहायशी आवास प्रदान करने हेतु इसमें व्यवस्था की गयी है।

48. **औषधि मानक नियंत्रण कार्यक्रम**: इसमें औषधि तकनीकी परामर्शी बोर्ड जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत एक सांविधिक बोर्ड है, के लिए व्यवस्था की गयी है जो इस अधिनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले तकनीकी विषयों पर केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है; औषध परामर्शी समिति, जो एक सांविधिक निकाय है, देश भर में औषधियों के एक समान प्रयोज्यता पर विचार करता है और समय-समय पर सरकार को संशोधनों की सिफारिश करता है; राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को उनकी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए, राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों को उनकी सूचना प्रणाली को सुधारने तथा प्रवर्तन एवं सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु वित्तीय सहायता देता है और एक तदर्थ समिति के माध्यम से भारतीय औषध-कोटा तैयार करने और उसे अद्यतन बनाने का कार्य करता है।

50. **अन्य योजनाएं**: इनमें विविध योजनाओं जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता, तम्बाकू से मुक्ति अभियान और समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।

53. **पूर्वोत्तर राज्य (सिक्किम सहित)**: पूर्वोत्तर और सिक्किम के विकास के लिए उपर्युक्त विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 180.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए में)

1.	राष्ट्रीय रोगवाहक रोग नियंत्रण कार्यक्रम	32.00
2.	राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम	2.00
3.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	10.00
4.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	27.00
5.	राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम	3.00
6.	समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम	3.00
7.	राष्ट्रीय कैन्सर नियंत्रण कार्यक्रम	6.00
8.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	3.00
9.	ड्रग्स-मुक्ति कार्यक्रम	1.00
10.	राष्ट्रीय आयोडीन कमी विकार कार्यक्रम	0.50
11.	क्षमता निर्माण हेतु राज्यों को सहायता	2.00
12.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	3.00
13.	एनईआइजीआरआईएचएमएस	70.00
14.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	12.00
15.	स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा प्रबंधन	1.00
16.	औषध नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता	1.00
17.	खाद्य अपमिश्रण निवारण हेतु राज्यों को सहायता	1.00
18.	अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन	0.50
19.	परिचर्या सेवाओं का विकास	2.00
	जोड़	**180.00**